Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में नगर निगम जयपुर–ग्रेटर का पार्षद 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगें हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *16 सितम्बर, शनिवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी जयपुर नगर चतुर्थ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये रामकिशोर सोयल पार्षद वार्ड नं0 123, नगर निगम जयपुर–ग्रेटर, जयपुर को परिवादी से **30 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर चतुर्थ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके प्लॉट के निर्माण कार्य में व्यवधान नहीं करने तथा जेडीए/नगर निगम द्वारा नहीं तुड़वाने की एवज में रामकिशोर मीणा पार्षद वार्ड नं0 123, नगर निगम जयपुर–ग्रेटर, जयपुर द्वारा **30 हजार रुपये** की रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. श्री रवि** के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर नगर चतुर्थ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बलराम मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री मूलचंद मीणा** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये रामकिशोर सोयल पुत्र श्री मूलचंद सोयल खटीक निवासी ए–167, जेडीए कॉलोनी, सामुदायिक केन्द्र के पास, पालड़ी मीणा, जयपुर हाल पार्षद वार्ड नं0 123, नगर निगम जयपुर–ग्रेटर, जयपुर को परिवादी से **30 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. श्री रवि के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।